न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 29/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.06.2015

1–घासी पिता गोकल जी चमार आयु वयस्क, निवासी जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–बगदीराम पिता घासी जी चमार आयु वयस्क, निवासी जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्मन टू परियोजना निदेशक चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि. मी. 197–350 कि. मी. 227–000 तक चित्तौड़गढ़ नीमच खण्ड मध्यप्रदेश सीमा तक (निम्बाहेड़ा बाईपास सहित) के स्थानीय कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बांसवाड़ा मुख्यालय प्रतापगढ़
2–सक्षम प्राधिकारी नेशनल हाईवे हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट विरूद्ध अवार्ड उपखण्ड अधिकारी (सक्षम अधिकारी) नेशनल हाईवे चित्तौड़गढ़–निम्बाहेड़ा नीमच बमामले प्रकरण संख्या 391/2013 आदेश दिनांक 01.07.2014

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः– 1–श्री भारत भूषण प्रधान, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 के कि. मी. 197–350 से कि. मी. 227–000 तक चित्तौड़–निम्बाहेड़ा–नीमच खण्ड (मध्य प्रदेश सीमा तक, निम्बाहेड़ा बाईपास सहित) के निर्माण (चौड़ा करने पेव्ड शोल्डर सहित चारलेन का बनाने) के प्रयोजन से प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 522 रकबा 0.13 है. भूमि को अवाप्त की जाकर पारित अवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 से मुआवजा राशि 6,65,994/–रू. निर्धारण करते हुए,

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

उक्त प्रार्थीगण की भूमि को मार्गाधिकार की भूमि मानते हुए मुआवजा राशि का भुगतान भूराजस्व मद 0029 राजकोष मे जमा कराने के पारित आदेश के विरूद्ध यह आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार-पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गई। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण पिता पुत्र है और ग्राम जलिया के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.13 किस्म चाही 3 के प्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार थे जिसे उन्होने एक पंजीकृत दान पत्र द्वारा उक्त भूमि को अपने सगे पुत्र बगदीराम जो कि प्रार्थी संख्या 2 है को दान कर दी जिसका खाता भी बगदीराम के नाम पर खुल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति की अधिसूचना प्रकाशित हुई और तदन्तर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 01.07.2014 को प्रार्थी को देय राशि 6,65,994/- रू. का अवार्ड पारित किया। उसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने दिनांक 30.10.2014 को यह नोट लगा दिया कि इंतकाल नंबर 78 दिनांक 16.07.2014 से खसरा नम्बर 522 मी रकबा 0.13 है. नामान्तकरण के फलस्वरूप बिलानाम रास्ता में दर्ज हो गई अतः अब कोई अवार्ड राशि देय नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदत्त हुई इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थी उस भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अगर प्राधिकरण इस भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण न करता तो निश्चय ही इस भूमि का उपयोग प्रार्थी करता और प्रार्थी उस उपयोग से वंचित हो गया है। भू अवाप्ति के समय घासी रिकॉर्डेड खातेदार था तदन्तर उसने उक्त भूमि को अपने पुत्र के नाम पर दान दिया उसके बाद पेट्रोल पम्प के लिए वाणिज्यिक उपयोग के रूप में संपरिवर्तित किया और उस पर भी व्यय हुआ तथा रूपान्तरण राशि प्रार्थी के द्वारा जमा करायी गई इस कारण हर स्थिति में प्रार्थीगण चाहे घासी या बगदीराम क्योंकि दोनों के हितों मे कोई टकराव नहीं है अथवा विकल्प में बगदीराम ही भूअवाप्ति से प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी ने क्लेम निरस्त कर गम्भीर कानूनी भूल की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जलिया की आराजी संख्या 522 रकबा 0.13 है. भूमि के लिए निर्धारित मुआवजा राशि में संशोधन कर कृषि भूमि के स्थान पर वाणिज्यिक भूमि मानते हुए मय सोलिशियम व ब्याज प्रार्थीगण को मुआवजा प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 29/2015 (रा.अ.)
घासी पिता गोकल चमार निवासी जलियां तहसील निम्बाहेड़ा बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्मन टू परियोजना निदेशक वगैरा

विपक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त ग्राम पैराफेरी में होने से रूपान्तरण के फलस्वरूप नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 16.07.2014 से खसरा नम्बर 522 का रकबा 0.13 है. भूमि सड़क हेतु बिलानाम सरकार दर्ज हो चुकी है। यह भूमि खातेदार की नहीं होकर अब यह भूमि बिलानाम सरकार मार्गाधिकार की भूमि होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि का कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से उक्त भूमि की मुआवजा राशि राजकोष में भूराजस्व मद 0029 में जमा कराई गई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को वाणिज्यिक रूपान्तरण के फलस्वरूप मार्गाधिकार हेतु छोडा जाने से प्रार्थीगण उक्त मार्गाधिकार की भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री घासी के खाते में आराजी नम्बर 522 रकबा 1.57 है. किस्म चाही 3 दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से रजिस्टर्ड दान पत्र से पुत्र श्री बगदीराम के नाम रकबा 0.77 है. दान करने से नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 20.05.2014 से आ. नं. 522 मी रकबा 0.77 है. श्री बगदीराम पिता घासी सा देह व आ. नं. 906/522 रकबा 0.80 है. घासी पिता गोकल चमार के नाम दर्ज हुई उसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/नपानि/भूमि/14-15/1895-1897 दिनांक 14.07.2014 से आराजी नम्बर 522 मी रकबा 0.77 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.13 हैक्टेयर सड़क मार्गाधिकार हेतु छोडी जाकर शेष 0.64 है. भूमि कृषि से गैर कृषिक पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का रूपान्तरण के फलस्वरूप ना. सं. 78 दिनांक 16.07.14 से आराजी नम्बर 522 मी रकबा 0.13 है. सड़क हेतु बिलानाम सरकार तथा आराजी नम्बर 909/522 रकबा 0.64 है. गैर कृषि पेट्रोल पम्प वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं पटवार हल्का जलियां की रिपोर्ट दिनांक 07.10.2014 अनुसार आ. न. 522 मी. रकबा 0.13 है. भूमि जो कि सड़क/मार्गाधिकार हेतु बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है, उक्त भूमि ही अवाप्ति में आ रही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 29/2015 (रा.अ.)

घासी पिता गोकल चमार निवासी जलियां तहसील निम्बाहेड़ा बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्मन टू परियोजना निदेशक वगैरा

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने एवं उक्त आराजी बिलानाम रास्ता दर्ज होने से प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार नहीं रह जाते तथा पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के फलस्वरूप मार्गाधिकार के लिए समर्पण की गई भूमि का प्रार्थीगण कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा भूराजस्व मद 0029 राजकोष मे जमा कराया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित अवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 तथा उस पर अंकित नोट दिनांक 13.10.2014 विधि–सम्मत् होकर पारित अवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का आपत्ति आवेदन खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official